



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 8 बजट (1) 17/2025...12/... (12/12) आ०

दिनांक- 02/01/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निदेशक,
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।
सहायक निदेशक,
पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्रकोड 02-2403001010101 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्र कोड 02-2403007890111 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹8,59,500/- (आठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 3193 दिनांक 16.07.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 84 (नि०) आ० दिनांक 22.09.2025 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹8,59,500/- (आठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्रकोड 02-2403001010101 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्र कोड 02-2403007890111 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के तहत "रेबीज रोधी निःशुल्क टीकाकरण- सह-जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की योजना" के लिए दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2025 एवं पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 17/2025.....12/12/2025 आ०/

पटना-15, दिनांक...02/12/2025

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

विभागीय राज्यदेश संख्या 3193 दिनांक 16.07.2025 के आलेख में वितीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु-चिकित्सा से नर्स तथा पशु-स्वास्थ्य 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्य-स्वास्थ्य स्थान, विपन कोड-02-2403001010101 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111 अस्पताल औषधालय तथा अन्य-स्वास्थ्य स्थान, विपन कोड-02-240300/890111 के अन्तर्गत 'शैकील सेवी प्रिशुल्क टीकाकरण-वैट-जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की योजना' हेतु आवंटन की विवरणी :-

क्र.सं		निकामी एवं व्ययन पराधिकारी का परनाम		02-2403001010101										02-2403007890111										कुल आवंटन (रु० में)				
				20.02- कॉन्फे-स, कार्यपाल, सीमिनार					21.01- सामग्री एवं पूर्तियाँ					26.01- विज्ञान और प्रकाशन					कुल आवंटन राशि					21.01- सामग्री एवं पूर्तियाँ				
				पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार,		1,30,000	70,000	2,00,000	2,89,000	1,56,000	4,45,000	0	0	0	4,19,000	2,26,000	6,45,000	1,95,000	1,05,000	3,00,000	6,14,000	3,31,000	9,45,000									
सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार,		0	0	0	0	0	0	1,43,000	77,000	2,20,000	1,43,000	77,000	2,20,000	0	0	0	1,43,000	77,000	2,20,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, पटना		68,200	36,800	1,05,000	0	0	0	0	0	0	68,200	36,800	1,05,000	0	0	0	68,200	36,800	1,05,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, नालन्दा		22,700	12,300	35,000	0	0	0	0	0	0	22,700	12,300	35,000	0	0	0	22,700	12,300	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, मोनपुर		22,700	12,300	35,000	0	0	0	0	0	0	22,700	12,300	35,000	0	0	0	22,700	12,300	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, बक्सर		16,200	8,800	25,000	0	0	0	0	0	0	16,200	8,800	25,000	0	0	0	16,200	8,800	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, रोहतास		22,700	12,300	35,000	0	0	0	0	0	0	22,700	12,300	35,000	0	0	0	22,700	12,300	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, कैमूर		16,200	8,800	25,000	0	0	0	0	0	0	16,200	8,800	25,000	0	0	0	16,200	8,800	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, गया		35,700	19,300	55,000	0	0	0	0	0	0	35,700	19,300	55,000	0	0	0	35,700	19,300	55,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, जहानाबाद		9,600	5,400	15,000	0	0	0	0	0	0	9,600	5,400	15,000	0	0	0	9,600	5,400	15,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, अरवल		9,600	5,400	15,000	0	0	0	0	0	0	9,600	5,400	15,000	0	0	0	9,600	5,400	15,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, औरंगाबाद		16,200	8,800	25,000	0	0	0	0	0	0	16,200	8,800	25,000	0	0	0	16,200	8,800	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, नवादा		16,200	8,800	25,000	0	0	0	0	0	0	16,200	8,800	25,000	0	0	0	16,200	8,800	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, छपरा		22,700	12,300	35,000	0	0	0	0	0	0	22,700	12,300	35,000	0	0	0	22,700	12,300	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, सीवान		16,200	8,800	25,000	0	0	0	0	0	0	16,200	8,800	25,000	0	0	0	16,200	8,800	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, गोपालगंज		16,200	8,800	25,000	0	0	0	0	0	0	16,200	8,800	25,000	0	0	0	16,200	8,800	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, दरभंगा		29,200	15,800	45,000	0	0	0	0	0	0	29,200	15,800	45,000	0	0	0	29,200	15,800	45,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, मधुबनी		35,700	19,300	55,000	0	0	0	0	0	0	35,700	19,300	55,000	0	0	0	35,700	19,300	55,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, समस्तीपुर		29,300	15,700	45,000	0	0	0	0	0	0	29,300	15,700	45,000	0	0	0	29,300	15,700	45,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, बेगूसराय		35,800	19,200	55,000	0	0	0	0	0	0	35,800	19,200	55,000	0	0	0	35,800	19,200	55,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, मुजफ्फरपुर		22,800	12,200	35,000	0	0	0	0	0	0	22,800	12,200	35,000	0	0	0	22,800	12,200	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, मोतिहारी		42,300	22,700	65,000	0	0	0	0	0	0	42,300	22,700	65,000	0	0	0	42,300	22,700	65,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, सीतामढ़ी		22,800	12,200	35,000	0	0	0	0	0	0	22,800	12,200	35,000	0	0	0	22,800	12,200	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, सिधर		9,800	5,200	15,000	0	0	0	0	0	0	9,800	5,200	15,000	0	0	0	9,800	5,200	15,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, बेतिया		22,800	12,200	35,000	0	0	0	0	0	0	22,800	12,200	35,000	0	0	0	22,800	12,200	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, वैशाली		22,800	12,200	35,000	0	0	0	0	0	0	22,800	12,200	35,000	0	0	0	22,800	12,200	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, सहरसा		16,300	8,700	25,000	0	0	0	0	0	0	16,300	8,700	25,000	0	0	0	16,300	8,700	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, सुपौल		29,300	15,700	45,000	0	0	0	0	0	0	29,300	15,700	45,000	0	0	0	29,300	15,700	45,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, मधेपुरा		16,300	8,700	25,000	0	0	0	0	0	0	16,300	8,700	25,000	0	0	0	16,300	8,700	25,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, नालापुर		29,300	15,700	45,000	0	0	0	0	0	0	29,300	15,700	45,000	0	0	0	29,300	15,700	45,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, बांका		9,800	5,200	15,000	0	0	0	0	0	0	9,800	5,200	15,000	0	0	0	9,800	5,200	15,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, मुंशेर		22,800	12,200	35,000	0	0	0	0	0	0	22,800	12,200	35,000	0	0	0	22,800	12,200	35,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, जमुई		9,800	5,200	15,000	0	0	0	0	0	0	9,800	5,200	15,000	0	0	0	9,800	5,200	15,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, लखीसराय		9,800	5,200	15,000	0	0	0	0	0	0	9,800	5,200	15,000	0	0	0	9,800	5,200	15,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, शेखपुरा		9,800	5,200	15,000	0	0	0	0	0	0	9,800	5,200	15,000	0	0	0	9,800	5,200	15,000									
जिला पशुपालन पराधिकारी, जगदिशा		16,300	8,700	25,000	0	0	0	0	0	0	16,300	8,700	25,000	0	0	0	16,300	8,700	25,000									

Q 2

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	20.02- कॉन्फेन्स, कार्यशाळा, सेमिनार				21.01- सामग्री एवं पूर्तिगो				26.01- विज्ञापन और प्रकाशन				कुल आवंटित राशि				21.01- सामग्री एवं पूर्तिगो				कुल आवंटन			
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
37	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	35,700	19,300	55,000	0	0	0	0	0	0	35,700	19,300	55,000	0	0	0	35,700	19,300	55,000						
38	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	22,800	12,200	35,000	0	0	0	0	0	0	22,800	12,200	35,000	0	0	0	22,800	12,200	35,000						
39	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	9,800	5,200	15,000	0	0	0	0	0	0	9,800	5,200	15,000	0	0	0	9,800	5,200	15,000						
40	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	16,300	8,700	25,000	0	0	0	0	0	0	16,300	8,700	25,000	0	0	0	16,300	8,700	25,000						
	कुल योग :-	9,68,500	5,21,500	14,90,000	2,89,000	1,56,000	4,45,000	1,43,000	77,000	2,20,000	14,00,500	7,54,500	21,55,000	1,95,000	1,05,000	3,00,000	15,95,500	8,59,500	24,55,000						

(आल लाख उनसठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र।

निदेशक, पशुपालन

12/11/26
02/01/26

①